मध्यप्रदेश शासन,
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1216/1182/2018/42(2)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17.5.2018

1) कलेक्टर, समस्त, जिला, मध्यप्रदेश।
2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त) मध्यप्रदेश।
3) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश
4) उच्च शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय प्राचार्य (समस्त)
5) जिला नोडल प्राचार्य आईटीआई (समस्त)
6) जिला रोजगार अधिकारी (समस्त)
7) प्राचार्य, शासकीय/स्वशासी इंजीनियरिंग/पॉलीटेकनिक, महाविद्यालय (समस्त)

विषयः "हम छू–लेंगे आसमाँ" योजना के संबंध में–प्रथम चरण 21 मई से 30 मई 2018.

उपरोक्त विषयान्तर्गत कक्षा दसवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के कैरियर मार्गदर्शन हेतु "हम छू–लेंगे आसमाँ" योजना तैयार की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा बारहवीं में उत्तीर्ण और कक्षा ग्यारहवीं, बारहवीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को भविष्य में उपलब्ध विभिन्न केरियर/अकादमिक विकल्पों के बारे में आधुनिक तकनीक एवं काउंसलिंग विशेषज्ञों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करना है।

2) इस आयोजन के मुख्य हितधारक उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, कैरियर काउंसलर, विषयवस्तु विशेषज्ञ तथा लक्षित हितग्राही हैं।

3) "हम छू–लेंगे आसमाँ" योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के द्वारा प्रत्येक जिले में काउन्सलर की नियुक्ति की जावेगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार काउन्सलर्स की नियुक्ति जिला कलेक्टर अपने स्तर पर कर सकेंगे। समस्त काउन्सलर्स की उन्मुखीकरण कार्यशाला

दिनांक 17 मई 2018 को भोपाल में आयोजित की जावेगी। योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार दो या दो से अधिक समर्पित काउन्सलिंग सेन्टर जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के द्वारा स्थापित किये जावेगे। काउन्सलिंग सेन्टर के लिये उत्कृष्ठ विद्यालय, जिला स्तरीय कॉलेज (उच्च शिक्षा), आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज इत्यादि, लिये जा सकेगें। काउन्सलिंग सेन्टर्स स्थापित करते समय सैद्धांतिक कक्षा एवं आईटी लेब की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे जिससे कि ऑफलाइन एवं ऑनलाइन काउन्सलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

4) योजना के प्रथम चरण में वर्ष 2017-18 में कक्षा बारहवीं में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की काउन्सलिंग दिनांक 21 मई से 30 मई तक चलेगी तथा इसकी मॉनिटरिंग स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्मित पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की जावेगी। शेष विद्यार्थियो की काउंसलिंग के लिये पृथक से निर्देश जारी किये जायेगें।

5) **योजना का प्रचार-प्रसार एवं ब्रॉण्डिग-** उक्त योजना का प्रचार-प्रसार जनसंपर्क विभाग के माध्यम से समस्त प्रदेश स्तर पर विज्ञापन, रेडियो जिंगल आदि के द्वारा प्रसारित किया जावेगा। समस्त काउन्सलिंग सेन्टर की मानक ब्रॉण्डिग हेतु म.प्र. माध्यम के द्वारा फ्लेक्स, होर्डिंग डिजाईन, ब्रॉण्डिग डिजाईन तैयार किए जाऐंगे तथा यह संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेगें। तदानुसार प्रत्येक विभाग उनके काउंसलिंग सेन्टर्स में यह सामग्री प्रदर्शित करेंगे।

6) <u>जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति</u> - जिला स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है

1. जिला कलेक्टर- अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत- सदस्य
3. उच्च शिक्षा विभाग लीड कॉलेज प्राचार्य-सदस्य
4. जिला स्तरीय आईटीआई/इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक प्राचार्य-सदस्य
5. जिला रोजगार अधिकारी-सदस्य
6. जिला शिक्षा अधिकारी - नोडल अधिकारी

जिला स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु यह समिति पूर्णतः उत्तरदायी होगी।

उपरोक्तानुसार "**हम छू-लेंगे आसमाँ योजना**" के सफल क्रियान्वयन हेतु उल्लेखित विभाग/अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करें तथा निम्नानुसार कार्यवाई हेतु अपने स्तर पर निरीक्षण कर, संबंधित को निर्देशित करें।

6) वित्तीय व्यवस्था–दिनांक 21 मई –30 मई में काउंसलिंग हेतु होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार होगी :–

क्र.	मद	दर (रू.)	वित्तीय व्यवस्था
1	काउन्सलर का मानदेय	500/– प्रति काउन्सलर प्रति दिवस	संबंधित विभाग
2	ब्रांडिंग, काउन्सलिंग के लिये अन्य आकस्मिक व्यय	10,000/– प्रति केन्द्र	संबंधित विभाग

7) **दिनांक 21–30 मई 2018 की अवधि में काउन्सलिंग सेन्टर की व्यवस्था :–**

- प्रत्येक काउंसलिंग केन्द्र पर कम से कम 10–10 कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर एवं इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएँ।
- राज्य स्तरीय प्रशिक्षित काउन्सलर द्वारा जिला स्तर पर पृथक–पृथक समूहों में विद्यार्थियों की काउंसलिंग करवाई जायेगी।
- 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्य स्तर से उनको आवंटित केन्द्र एवं समय की सूचना हेतु मोबाईल पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मैसेज भेजा रहा है। दिनांकवार, समयवार उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की जानकारी आपको शीघ्र ही ई–मेल से भेजी जा रही है। विद्यार्थियों की सूची पूर्व में ईमेल पर भेजी जा चुकी है।
- समस्त शासकीय एवं अशासकीय प्राचार्यों को भी विद्यार्थियों को अपनी ओर से सूचित करने हेतु निर्देशित करें।
- प्रतिदिवस दो–दो घंटे की काउन्सलिंग हेतु 30–40 विद्यार्थियों को 3 स्लॉट (10 से 12, 12.15 से 2.15 एवं 2.30 से 4.30 तक) अलग–अलग समय में बुलाया जावेगा। बालिकाओं के लिए प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक का समय आवंटित किया गया है।
- 2 घंटे में तीस मिनट का प्रथम सत्र समस्त विद्यार्थियों के लिए काउंसलर द्वारा प्रस्तुतिकरण एवं एमपी कॅरियर मित्र पोर्टल एवं मोबाइल एप से परिचय करवाया जावेगा। अगले 30 मिनट में विद्यार्थी द्वारा एमपीकॅरियर में मित्र पोर्टल एवं मोबाइल एप का उपयोग कर अपनी रूचि के संस्थान खोज सकेंगे। अंतिम एक घंटे मिनट में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत काउंसलिंग एवं शंका समाधान एवं विद्यार्थियों द्वारा एम.पी. कॅरियर मित्र पोर्टल एवं मोबाइल एप पर फिडबैक दिया जावेगा।
- प्रत्येक केन्द्र पर स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था की जावेगी।

- विद्यार्थियों के साथ उनके माता/पिता/एक पालक भी काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे।

8) दस्तावेजीकरण – इस आयोजन के मुख्य हितधारक उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग उपस्थित हुए विद्यार्थियों का डाटा, सफलता की कहानी आदि विषयों में दस्तावेजीकरण कर कार्यक्रम के नोडल अधिकारी– जिला शिक्षा विभाग एवं तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित करें।

9) सीख एवं सुझाव –उक्त कार्यक्रम समापन पश्चात् कार्यक्रम से प्राप्त सीख/सुझाव, संलग्न विभाग/अधिकारियों से चर्चा कर प्राप्त करें तथा अपके माध्यम से तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्राप्त सीख/सुझाव से आगामी वर्ष में और बेहतर कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों के भविष्य हेतु उपयोगी/गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन प्रदाय किया जा सकें।

(दीप्ति गौड़ मुखर्जी)
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

(अशोक बर्णवाल)
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
तकनीकी शिक्षा, कौशल
विकास एवं रोजगार विभाग

(बी.आर. नायडू)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र. शासन,
उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक 217/184/2018/42(2) भोपाल दिनांक 17.5.2018

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय।
5. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
6. निज सचिव, मान. मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
7. निज सचिव, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग।
8. निज सचिव, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग।

अपर सचिव,
म.प्र. शासन,
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं
रोजगार विभाग